



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या :- 1300/जीसीएओछ:/29ए/2003

दिनांक :- 07 अक्टूबर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

चयन वर्ष 2025-26 (अवधि 01.07.2025 से 30.06.2026 तक) के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत लेखा संवर्ग के निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-6 में अंकित तिथि को उन्हें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन कारपोरेशन की सेवाओं से सहर्ष सेवानिवृत्त की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	सैप आई०डी०	कर्मचारी का नाम/पदनाम/गृहजनपद/तैनाती कार्यालय	पिता का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	स्तम्भ-3	स्तम्भ-4	स्तम्भ-5	स्तम्भ-6
1.	14401003	श्री अशोक कुमार/अनुसेवक/देवरिया/सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।	स्व० छोटे लाल	30.07.1965	31.07.2025
2.	14400032	श्रीमती पूनम कपूर/लेखाकार/लखनऊ/सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।	श्री कुन्दन लाल कपूर	27.08.1965	31.08.2025
3.	15004619	श्री जीव लाल भंडारी/अनुसेवक/लखनऊ/शिविर कार्यालय अधिशासी निदेशक (वित्त), शक्ति भवन, लखनऊ।	श्री दुँडी लाल भंडारी	10.05.1966	31.05.2026

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित लेखा कार्मिकों को **स्तम्भ संख्या-6** में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके लेखा कार्मिकों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रोत्तर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जायें। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं लेखा कार्मिकों की विधिक जिम्मेदारी होगी।

नियंत्रक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिक को पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्त होने से पूर्व यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समय से पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सके एवं सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण की जाँच समय से करना एवं अदेयता प्रमाण पत्र इत्यादि भी निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाए।

(Handwritten signature)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

क्रमशः-2

संख्या :- 1304/जीसीएओछ:/29ए/2003 तददिनांक 07-10-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अधिशासी निदेशक (वित्त), शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, वेब साईट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (पेंशन)/(वेतन एवं लेखा)/(केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. सहायक लेखाधिकारी (प्रशासन)-प्रथम/द्वितीय, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/अधिष्ठान सहायक।

आज्ञा से,



(हिमान्शु वार्ष्णेय)

उप सचिव (03/04)

संख्या :- /जीसीएओछ:/29ए/2003 तददिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखा कार्मिकों के विभागीय आवास के संदर्भ में अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे कि लेखा कार्मिकों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
2. मुख्य अभियन्ता (जानपद), द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, नवम् तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त लेखा कार्मिकों को विभागीय आवास रिक्तता तथा अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखा कार्मिकों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जाँच इत्यादि यदि कोई हो तो उसकी सूचना उपलब्ध कराते हुए, प्रकरण यथा समय पूर्ण/निर्णय कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे कि लेखा कार्मिकों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
4. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा-महास्तार), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखा कार्मिकों को मकान/स्कूटर अग्रिम के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि लेखाकारों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(हिमान्शु वार्ष्णेय)

उप सचिव (03/04)